बिहार सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

आदेश

संख्या– वि० प्रा० (I) स्था० वि०प्रो०स०–01/2014/ 272 /पटना, दिनांक – 27.1.2020

विभागीय आदेश ज्ञापांक–251 दिनांक–21.01.2019 द्वारा गठित विभागीय प्रोन्नति समिति को भंग करते हुए बिहार अभियंत्रण शिक्षा सेवा नियमावली– 2014 एवं बिहार पोलिटेकनिक शिक्षा सेवा नियमावली– 2014 में निहित प्रावधान के आलोक में राजपत्रित कोटि के पदों के प्रोन्नति/स्थापना से संबंधित मामलों पर विचार एवं अनुशंसा करने हेतु विभागीय प्रोन्नति समिति का पुनर्गठन निम्नवत् किया जाता है:–

(1) निदेशक, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग	अध्यक्ष
(2) संयुक्त सचिव, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग	सदस्य
(3) उप सचिव, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग	सदस्य
(4) सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मनोनित पदाधिकारी	सदस्य
(5) मनोनित विषय विशेषज्ञ	सदस्य
(6) उप निदेशक (यो०), विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग	सदस्य
(7) संयुक्त निदेशक (त०), विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग	सदस्य सचिव

उक्त समिति राज्य सरकार के नियमों तथा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (तकनीकी संस्थानों में राजपत्रित कोटि के शिक्षकों के लिए कैरियर संवर्द्धन योजना) द्वारा समय–समय पर जारी विनियमन में निहित प्रावधानों के आलोक में शिक्षकों के प्रोन्नति एवं अन्य समस्याओं पर विचार करेगी तथा राज्य सरकार को अपनी अनुशंसा समर्पित करेगी।

इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

24.1.20
संयुक्त सचिव,
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक – वि० प्रा० (I) स्था० वि०प्रो०स०–01/2014/ 272 **/पटना, दिनांक –** 27.1.2020

प्रतिलिपि – माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/प्राचार्य, सभी अभियंत्रण महाविद्यालय/सभी राजकीय पोलिटेकनिक एवं राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थान/सचिव, राज्य प्रावैधिकी शिक्षा पर्षद, बिहार, पटना एवं विभागीय सभी पदाधिकारी, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

24.1.20
संयुक्त सचिव,
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग,
बिहार, पटना।

विकास/21.01.20